



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

website: www.bilaspuruniversity.ac.in



क्रमांक / 403 / परीक्षा-गोपनीय / 2018

दिनांक 07.09.2018

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त संबद्ध शासकीय एवं

अशासकीय महाविद्यालय

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र/छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में।

---00---

विषयांतर्गत बिलासपुर विश्वविद्यालय की सत्र 2018-19 की मुख्य परीक्षा-2019 में सम्मिलित होने वाले स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेशित नियमित छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन माह नवंबर-2018 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में महाविद्यालय स्तर पर संपन्न कराया जाना है। आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक / 0015 / गोपनीय / स.कु. / 2018 बिलासपुर दिनांक 10.01.2018 का अवलोकन कर लें।

आंतरिक मूल्यांकन संपन्न होने के उपरांत माह दिसंबर-2018 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक बिलासपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल <http://exam.bucgexam.in> में ऑनलाईन दर्ज करना है। इस हेतु आपके महाविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित करें एवं इस पत्र की एक प्रति महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट पर चरप्पा/अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक संधारित करने हेतु प्रारूप। प्रारूप की सॉफ्ट कापी (M.S. Excel Format) वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारूप में आंतरिक मूल्यांकन के अंक छात्र/छात्राओं के नाम, User ID, Enrollment No. के अनुसार दर्ज करेंगे।

आदेशानुसार

Handwritten signature 7.9.18

परीक्षा नियंत्रक

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 07.09.2018

पृ. क्रमांक / 404 / परीक्षा-गोपनीय / 2018

प्रतिलिपि:-

- माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।

Handwritten signature 07.9.2018
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
बिलासपुर विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)


BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012)

पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-220031, 220032, 220033 फैक्स 07752-260294

वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in



क्रमांक/0015 / गोपनीय / स.कु. / 2018

दिनांक 10.01.2018

—:अधिसूचना:-

बिलासपुर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/2203/परीक्षा/2017 बिलासपुर दिनांक 10.10.2017 द्वारा सत्र 2017-18 से स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में निर्देश दिये गये थे। आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रेषण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. आंतरिक मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय स्तरीय के संसाधन से व्यवस्था करेंगे।
2. प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक का 10 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किये गये हैं।
3. जिस विषय में प्रश्नपत्रों की संख्या दो/तीन हैं, उनमें प्रश्नपत्रों के लिए निर्धारित अंक के 10 प्रतिशत अंक के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन न लें।
4. आंतरिक मूल्यांकन में उस विषय के समस्त प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखें।
5. मुख्य परीक्षा में प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों हेतु निर्धारित पूर्णांक का 90 प्रतिशत अंक एवं आंतरिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत अंक परीक्षा परिणाम में गणना करने हेतु जोड़े जाएंगे।
6. प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में आंतरिक मूल्यांकन नहीं होंगे।
7. आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित छात्र/छात्रा को संबंधित विषय/प्रश्नपत्र के आंतरिक मूल्यांकन के 10 प्रतिशत अंक का लाभ नहीं मिलेगा अर्थात् शून्य अंक प्रदाय किया जावेगा।
8. आंतरिक मूल्यांकन में छात्र/छात्रा को प्राप्त अंको की गणना करने पर यदि उनके प्राप्तांक दशमलव अंक में आते हैं तो प्राप्तांक को पूर्णांक में परिवर्तित करके अंक प्रेषित करें। (0.5 या अधिक होने पर)
9. आंतरिक मूल्यांकन के अंक महाविद्यालयों द्वारा बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के पोर्टल <http://exam.bucgexam.in> में ऑनलाईन दर्ज किया जाना अनिवार्य है। पोर्टल में अंक ऑनलाईन दर्ज करने के पश्चात् पर्ण/प्रतिपर्ण (FOIL/COUNTER FOIL) के निर्धारित प्रारूप में विधिवत विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
10. संदर्भ हेतु निम्नानुसार विवरण/उदाहरण का अवलोकन करें एवं कॉलम 7 में आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित पूर्णांक के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदाय किये जाएंगे।

क्र.	विवरण	प्रश्नपत्र-1 का पूर्णांक	प्रश्नपत्र-2 का पूर्णांक	प्रश्नपत्र-3 का पूर्णांक	सैद्धांतिक परीक्षा हेतु कुल पूर्णांक	आंतरिक मूल्यांकन हेतु पूर्णांक
1	2	3	4	5	6	7
1	उदाहरण - 1	75			75	7.5
2	उदाहरण - 2	50	50		100	10
3	उदाहरण - 3	75	75		150	15
4	उदाहरण - 4	50	50	30	130	13
5	उदाहरण - 5	33	33	34	100	10
6	उदाहरण - 6	50	50	50	150	15

आदेशानुसार

Mondley 10.1.18

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक 10.01.2018

पृ. क्रमांक/0016 / गोपनीय / स.कु. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Darshan
10.1.18

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-220031, 220032, 220033 फैक्स 07752-260294

वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in



क्रमांक /2203/परीक्षा/2017

बिलासपुर, दिनांक 11.10.2017

—:अधिसूचना:-

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक 11 में "वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी प्रस्ताव" पर यह निर्णय लिया गया है कि स्नातक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन/छ:माही परीक्षा के अंक को मुख्य वार्षिक परीक्षा के अंक में जोड़ा जाना है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन/छ:माही परीक्षा का अंक/वेटेज 10 प्रतिशत एवं मुख्य वार्षिक परीक्षा का अंक/वेटेज 90 प्रतिशत होगा।

समन्वय समिति के निर्णयानुसार यह प्रावधान बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा सत्र 2017-18 से समस्त संबद्ध महाविद्यालयों में लागू किया जाता है। सत्र 2017-18 में केवल स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों के लिए यह प्रावधान लागू होगा, जो कमशः आगामी सत्रों में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में लागू होगा।

संलग्न:- अकादमिक कैलेंडर 2017-18

आदेशानुसार

Manley 11.10.2017

कृते कुलसचिव

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /2204/परीक्षा/2017

बिलासपुर दिनांक 11.10.2017

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. माननीय कुलपति महोदय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सादर सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
6. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। कृपया अपने महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन/छ:माही परीक्षा का आयोजन छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार करते हुए छात्र/छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन/छ:माही परीक्षा के अंक विश्वविद्यालय गोपनीय विभाग में माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यतः जमा कराना सुनिश्चित करें। महाविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन/छ:माही परीक्षा के आयोजन एवं अंक विश्वविद्यालय को भेजे जाने के संबंध में दिशानिर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
7. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/अकादमी), बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

Jardan 11.10.17

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

BILASPUR VISI:WAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)
INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION - 2018-19

FOIL / COUNTER FOIL



COLLEGE CODE & NAME-		EXAM CODE & NAME-		SUBJECT CODE & NAME-		No. of Students REGISTERED-		No. of Students PRESENT-		No. of Students ABSENT-	
						Maximum Marks-		DATE OF EXAMINATION			
Sr. No.	User ID	Roll No.	Enrollment No.	Status (Regular)	Name of Students	Father's/Husband's Name	Marks (in figures)	Marks (in Words)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Sign & Seal of Principal/College
 Name
 Mobile No.

Sign/Seal of HOD/Internal Examiner
 Name
 Mobile No.